

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक : 19.03.2014

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में 'एफ'-टाईप श्रेणी (स्वतंत्र) की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं:-

क.सं	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री नन्द किशोर सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	एफ-67, गांधीनगर (4/44, गांधीनगर के स्थान पर)	31.5.2018	289
2	श्री मोहन सिंह राजावत लेब टेकनिशियन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-459, गांधीनगर (4/36, गांधीनगर के स्थान पर)	31.10.2039	291
3	श्रीमती रंजना देवी, पुस्तकालयाध्यक्ष राजकीय महाराजा सार्वजनिक मण्डल पुस्तकालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर	एफ-467, गांधीनगर (4/148, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2028	292
4	श्रीमती नीता सत्यानी, निरीक्षक उप पंजीयक (प्र.), सहकारिता विभाग, जयपुर	एफ-165, गांधीनगर (4/102, गांधीनगर के स्थान पर)	30.9.2036	293
5	श्री राम प्रसाद चौधरी लेब टेकनिशियन डी फार्मसी कॉलेज, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-183, गांधीनगर (4-डी-1, बहुमंजिला गांधीनगर के स्थान पर)	31.7.2023	294
6	श्री बाबू लाल मीणा, नर्स ग्रेड-1 सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-187, गांधीनगर (4/79, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2043	295
7	श्री सुरेन्द्र सिंह सांखला सहायक अनुभागाधिकारी गृह (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-708, गांधीनगर (4/41, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2028	297
8	श्री नवल किशोर मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-198, गांधीनगर (4-सी-17, बहुमंजिला, गांधीनगर के स्थान पर)	31.5.2040	299
9	श्री कमल कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार पंचायतीराज विभाग, जयपुर	एफ-408, गांधीनगर (4/61, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2030	300
10	श्री दीपक टिक्कीवाल सहायक अनुभागाधिकारी प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-443, गांधीनगर (एफ-982, नया नम्बर 4/169, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2035	302
11	श्री हनुमान सहाय मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-445, गांधीनगर (4-सी-20, बहुमंजिला, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2028	303
12	श्री जितेन्द्र वीर सिंह गौड़, कनिष्ठ अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क, जयपुर	एफ-480, गांधीनगर (4/110, गांधीनगर के स्थान पर)	31.10.2019	304

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

*(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)*

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
4. कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, कृषि विपणन अधिकारी, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय महाराजा सार्वजनिक मण्डल पुस्तकालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
9. उप पंजीयक (प्रशासन), सहकारिता विभाग, जयपुर।
10. उप निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गॉंधीनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉंधीनगर, जयपुर।
17. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

*(मुन्नालाल शर्मा)*

सहायक शासन सचिव